तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **उदय नारायण बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाडा)** सू.अ.अपील संख्या 51 / 2024	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07–06–24	अपीलार्थी उदय नारायण निवासी बढेर चौक, खारिया मीठापुर, तहसील बिलाडा, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06 / 02 / 2024 में राष्ट्रीय राजमार्ग 112 जो राजस्व खारिया मीठापुर के खसरा नं. 408 की भूमि अवाप्ति / भू अधिग्रहण के संबंध में देय मुआवजा की राशि की प्रमाणित प्रतिलिपि व अन्य बिन्दुओं से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाडा) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नही दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार बिलाडा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार बिलाडा) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाडा) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर, जोधपुरग्रामीण जिला कलक्टर, जोधपुर(ग्रा.)	